राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 14 / 2020

शीशराम पुत्र जगू जाति जाट उम्र 57 वर्ष निवासी पदेवा तहसील खेतड़ी, जिला झुझुनूं (राज)

.... प्रार्थी

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज)

..........अप्रार्थी

<u>प्रार्थन पत्र – नाम दुरूस्ती</u>

निर्णय **दिनांक 22–02–2021**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम पदेवा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075 लगायत 2078 के खाता संख्या 150 के ख.नं. 282 रकबा 1.12 हैक्टर, ख.नं. 513 रकबा 0.32 हैक्टर, ख.नं. 519 रकबा 0.17 हैक्टर, ख.नं. 523 रकबा 0.09 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 1.70 हैक्टर में प्रार्थी के भाई का नाम धडू पुत्र जगू के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र जगू दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खेतड़ी से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खेतड़ी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2075–78 खाता सं. 150 ग्राम पदेवा पेश की गई तथा गवाह गिरधारीलाल पुत्र भोलू आयु 71 वर्ष जाति जाट निवासी वार्ड नं. 05 पदेवा तन हरड़िया व मनोज कुमार पुत्र मोहर सिंह आयु 28 वर्ष जाति जाट निवासी हरड़िया के शपथ पत्र पेश किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों तथा जांच रिपोर्ट तहसीलदार खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व ग्राम पदेवा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075 लगायत 2078 के खाता संख्या 150 में प्रार्थी के भाई का नाम धडू पुत्र जगू के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र जगू दुरूस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम पदेवा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075 लगायत 2078 के खाता संख्या 150 में प्रार्थी के भाई का नाम धडू पुत्र जगू के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र जगू दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22–02–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनूं)

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner